न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

(बईजलास श्री रतनलाल रेगर आर ए एस)

प्रकरण संख्या 73/2015 प्रार्थनापत्र एलआर

अनवान

1. छोटु पिता लक्ष्मण गाडरी निवासी खारीखेडा पोस्ट बामणिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

.... प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

..... विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– **श्री मुरारी जोशी वकील प्रार्थी**

–:: निर्णय ::–

दिनांक 06.06.2017

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम खारीखेडा पटवार क्षैत्र बामणिया तहसील बनेडा की जमाबंदी खतौनी संख्या 13 के आराजी संख्या 18/3, 80, 175/1, 176, 196/1, 197/1, 215/2 कुल किता 7 कुल रकबा 06–05 बीघा एंव खतौनी सख्या 12 के आराजी संख्या 1629/77 रकबा 0–16 बीघा स्थित पैत्रक आराजीयात है। किन्तु पिता की मृत्युपरान्त खुले नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 17.09.1977 में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारीयों द्वारा भूलवश छोटु के बजाय कनीराम पिता लक्ष्मण गाडरी दर्ज कर दिया। तथा उक्त लिपिकीय त्रुटी आजदिनांक तक अनव्रत जारी है जिसे संशोधन की आज्ञा प्रदान की जावें।

2. विपक्षी की जरिये सम्मन तलबी की गई। इसी दौरान प्रकरण को राजस्व लोक अदालत के केम्प बामणिया के लिए पंजिबद्ध किया गया तथा विपक्षी ने प्रार्थी के प्रार्थना के प्रा.पत्र को स्वीकार किये जाने मे किसी प्रकार की कोई आपत्ती होना जाहीर नही किया तथा अपनी और से सहमति रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे शामिल पत्रावली किया गया । प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र तथा साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत दस्तावेजी व शिविर के दौरान प्रार्थी व सत्यनारायण पिता मांगीलाल ब्राहमण निवासी लाम्बा के पंजीबद्ध बयानो के अध्ययन व मनन पश्चात प्रार्थी का प्रा.पत्र सहमति से लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार योग्य है प्रतीत होता है।

–:: आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूद्ध विपक्षी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बनेड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वाके ग्राम खारीखेडा पटवार हल्का क्षैत्र बामणिया तहसील बनेडा की वर्तमान जमाबंदी के खतौनी संख्या 13 के आराजी संख्या 18/3, 80, 175/1, 176, 196/1, 197/1, 215/2 कुल किता 7 कुल रकबा 06–05 बीघा एंव खतौनी सख्या 12 के आराजी संख्या 1629/77 रकबा 0–16 बीघा मे प्रार्थी का नाम कनीराम पिता लक्ष्मण गाडरी के स्थान छोटु पिता लक्ष्मण गाडरी संशोधित किया जावें।

यह आदेश आज दिनांक 06.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बामणिया में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़
जिला भीलवाड़ा

कमांक/प्रा.पत्र. एलआर /प्र.स. 73/2015 दिनांक **06.06.2017**

प्रतिलिपिः–

तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि माफिक आदेश के राजस्व अभिलेखों में पालना की जाकर मय पालना रिपोर्ट के नकल जमाबंदी सहित 30 दिन की समयावधि में प्रस्तुत करने की सुनिश्चिता करें।

उपखण्ड अधिकारी, बनेड़